Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

चोरी की घटना कारित करने वाले आरोपी संजीव को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 माह का कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा।

अवगत कराना है कि वर्ष 2014 में अभियुक्त संजीव पुत्र सुरेन्द्र निवासी अटेरना थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा चोरी करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0- 39/2014 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 20.02.2024 को मा0 न्यायालय CJ(JD) FTC जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त संजीव को दोषी पाते हुए 03 माह के कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है। बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice Baghpat police baghpatpolice

Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

अवैध शराब तस्करी करने वाले आरोपी वेदपाल उर्फ वेदू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 02 वर्ष का कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड की सजा।

अवगत कराना है कि वर्ष 2014 में अभियुक्त वेदपाल उर्फ वेदू पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम डगरपुर थाना खेकड़ा जनपद बागपत द्वारा अवैध शराब की तस्करी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0- 535/2014 धारा 272 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 20.02.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज FTC प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त वेदपाल उर्फ वेदू को दोषी पाते हुए 02 वर्ष के कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है। बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice Baghpat police baghpatpolice

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली खेकडा दिनाँक 20.02.24

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 02/24 धारा 306 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 02.01.24 को थाना खेकड़ा पर वादिया ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्तगण 1.पति चमन पुत्र धर्म सिंह, 2.ससुर धर्म सिंह, 02 महिला निवासीगण अहमदनगर नगला बडी थाना खेकड़ा, 5.नन्दोई जितेन्द्र निवासी ग्राम पावला थाना कोतवाली बागपत व 6.शेरसिंह निवासी ग्राम बाघू थाना कोतवाली बागपत द्वारा वादिया की पुत्री को दहेज के लिये प्रताडित करना, जिससे नीलम द्वारा दिनांक 11.12.23 को अपनी ससुराल ग्राम अहमदनगर नगला बड़ी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 02/24 धारा 306 भादवि पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 02/24 धारा 306 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

चमन पुत्र धर्म सिंह निवासी अहमदनगर नगला बडी थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री मुकेश थाना खेकडा जनपद बागपत।

2. है0का0 53 रविन्द्र सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत।

3.का0 789 जितेन्द्र कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।